उत्तर प्रदेश शासन
उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2
संख्या-11/2015/सीपी 222/84-2-2015-सीपी 2/2009
लखनऊ : दिनांक : 19 मई, 2015

<u>अधिसूचना</u>

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (अधिनियम संख्या-68 सन् 1986) की धारा-16 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, श्री राज्यपाल उक्त धारा की उपधारा (1)(1-क) के अधीन गठित चयन समिति की संस्तुति पर निम्नलिखित व्यक्ति को राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में न्यायिक सदस्य के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि अथवा 67 वर्ष की आयु, इनमें जो भी पूर्ववर्ती हो, तक के लिए नियुक्त करते हैं :-

क्र0 सं0	नियुक्त व्यक्ति का नाम और पता	नियुक्त व्यक्ति की जन्म तिथि	पद का नाम
1	2	3	4
1	श्री उदय शंकर अवस्थी, जिला जज (सेवानिवृत्त) पुत्र श्री शिव मोहन अवस्थी, 1/446, वरदान खण्ड, गोमतीनगर विस्तार , लखनऊ ।	07.07.1954	न्यायिक सदस्य (पूर्णकालिक)

2. राज्य आयोग में न्यायिक सदस्य पद पर नियुक्त उपर्युक्त सदस्य उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, 1987 (यथा संशोधित) के नियम 6(1)(क) एवं 6(1)(ग) में प्रावधानित मानदेय एवं मकान किराया भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगें तथा शासनादेश संख्या-सीपी 502/84-2-2010-सीपी 29/99, दिनांक 07 जनवरी, 2011 में प्रावधानित वाहन भत्ता भी प्राप्त करेंगें।

बी0एम0 मीना
प्रमुख सचिव।

<u>पृष्ठांकन संख्या - 11/2015/सीपी 222)(1)/84-2-2015-सीपी 2/2009 तद दिनांक</u>

प्रतिलिपि - अधिसूचना के अंग्रेजी रूपान्तर सहित, निदेशक, राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया अधिसूचना को आज दिनांक

.....2.....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

19 मई, 2015 के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) में प्रकाशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

आज्ञा से,

अनिल कुमार बाजपेई
संयुक्त सचिव।

पृष्ठांकन संख्या - 11/2015/सीपी 222/(2)/84-2-2015-सीपी 2/2009 तद दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) सचिव, भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग), कृषि भवन, नई दिल्ली।

(2) महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।

(3) प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन।

(4) निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, सी-1, विक्रान्तखण्ड-1, गोमती नगर, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उपर्युक्त चयनित राज्य आयोग के न्यायिक सदस्य द्वारा कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व उ0प्र0 उपभोक्ता संरक्षण नियमावली में प्रावधानित परिवचन प्राप्त करके शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(5) जिलाधिकारी, लखनऊ।

(6) मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

(7) निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 को मा0 मुख्यमंत्री जी के सूचनार्थ।

(8) निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, खाद्य एवं रसद तथा उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।

(9) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

(10) सम्बन्धित सदस्य। (द्वारा रजिस्टर्ड डाक)।

(11) समस्त अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, उ0प्र0 (द्वारा निबन्धक, राज्य आयोग)

(12) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

हरिश्चन्द्र
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Uttar Pradesh Shasan
Upbhokta Sanrachan Evam Bant Map Anubhag -2
No. 11 /2015/C.P 222/ 84-2-2015-C.P. 2/2009
Lucknow :: Dated :: 19 May , 2015

Notification

In Pursuance of the Provisions of clause (3) of Article-348 of the Constitution the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. No. 11 /2015/C.P 222/ 84-2-2015-C.P. 2/2009 dated 19 May , 2015

No. 11/2015/C.P 222/ 84-2-2015-C.P. 2/2009
Lucknow :: Dated :: 19 May , 2015

In exercise of the powers under Section-16 of the Consumer Protection Act (Act no. 68 of 1986), the Governor on recommendation of the selection committee constituted under subsection (1)(1A) of the said Section, is pleased to appoint following person to the office of the Judicial Member with effect from the date of their taking over charge for five years or upto the age of 67 years which ever is earlier in the State Consumer Disputes Redressal Commission, Uttar Pradesh, Lucknow :-

S.No.	Name & Address of the person appointed	Date of Birth of the person appointed	Name of the Post
1	Shri Udai Shankar Awasthi, District Judge (Retd.) S/o Sri Shiv Mohan Awasthi, 1/446, Vardan Khand, Gomti Nagar Vistar, Lucknow	07.07.1954	Judicial Member (Whole Time)

2. The above appointed member of State Commission will be entitled to get the honorarium and house rent allowance as prescribed in Rule 6(1)(a) and 6(1)(c) of the U.P. Consumer Protection Rules-1987 (as amended) and will also get conveyance allowance, sanctioned under G.O. No. C.P. 502/84-2-2010-C.P. 29/99, dated 07th January, 2011

By Order,

B. M. Meena
Pramukh Sachiv

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।